

अति-आवश्यक
स्मरण पत्र-4

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.1(3)()स्था./वा.चा./सूचना/2017 6708-740

जयपुर, दिनांक: 8-1-18

समस्त उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग।

विषय :- वाहन चालकों एवं विभागीय वाहनों की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंग :- निदेशालय के पूर्व पत्रांक 61518-550 दिनांक 18.04.2017, 12375-407

दिनांक 25.07.17 एवं 129648-680 दिनांक 01.09.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में वाहन चालकों एवं विभागीय वाहनों के सम्बन्ध में निम्नानुसार सूचना अविलम्ब तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाये:-

प्रपत्र-‘अ’

नाम कार्यालय	पद (वाहन चालक)		नाम वाहन चालक	जन्म तिथि	सेवा में प्रथम कार्यग्रहण की दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	वर्तमान कार्यालय में कार्यग्रहण दिनांक
	स्वीकृत	कार्यरत					

प्रपत्र-‘ब’

नाम कार्यालय	विभागीय वाहन संख्या	वाहनों की स्थिति		कार्यरत वाहन चालक का नाम	किराये का वाहन
		चालू	नकारा योग्य		

उक्त सूचना एग्जाई कर भिजवायें।

प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 8-1-18

क्रमांक-एफ.1(3)()स्था./वा.चा./सूचना/2017

प्रतिलिपि:- 1. रसीपी, मुख्यालय विभागीय बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

प्रभारी अधिकारी (पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान जयपुर